

डिकी एवं मुकदमे ईबतदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 140/2025

गुरलाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुरा तहसील
अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

- वादी


बनाम

- 1 सुरजीत कौर पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुरा तहसील
अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 2 गुरप्रीत कौर पुत्री रणजीत सिंह (पत्नी कर्मजीत सिंह) जाति जटसिख निवासी
गद्दाडोब तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 3 सर्वजीत कौर पुत्री रणजीत सिंह (पत्नी संजीव सिंह) जाति जटसिख निवासी
ऐहलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
- 4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर. ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी स. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 7 के.एस.डी. खाता स. 96/79 खाता बसाखा सिंह वगैरा ज. स. 2073-76 में रणजीत सिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः उक्त खाता से रणजीत सिंह पुत्र नारायण सिंह का नाम कलमजन किया जाकर इसके नाम दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...15.4.2025...को
जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया